[5/12/2016]

प्रपत्र-"अ"

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-44

स. क्रं.	योजना का नाम	जिला	तहसील
1.	विजयसागर बांध	सतना	उचेहरा
2.	अंधियारी सागर बांध	सतना	अमरपाटन
3.	बारधा बांध	श्योपुर	विजयपुर
4	सिरस्वाहा तालाब	पन्ना	पन्ना
5	बिलखुरा तालाब	पन्ना	पन्ना

प्रपत्र-"ब"

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-44

	योजना का नाम	क्षतिग्रस्तता के कारणों का विवरण	क्षति की आंकलित राशि
1.	विजयसागर बांध	76 वर्ष पुराना बांध है अत्याधिक वर्षा होने से बांध के ऊपरी हिस्से के निजी बांधो के टूटने के कारण अत्याधिक मात्रा में पानी की आमद हो जाने के कारण बांध ओवरटाप होने से बांध तीन स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया।	बांध का निर्माण वर्ष 1940 में पूर्ण हुआ था अधिक पुराना बांध है। वर्ष 2016 में अत्यधिक वर्षा होने के कारण ओवर टापिग होने से बांध क्षतिग्रस्त हुआ है। सुधार कार्य में आने वाली लागत रू. 2.38 लाख आंकलित की गई है। प्राकृतिक कारणों से बांध क्षतिग्रस्त होने के कारण किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं है।
2.	अंधियारी सागर बांध	योजना अभी भी निर्माणाधीन है। बांध का उपबांध क्षतिग्रस्त हुआ जिसका कारण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़े जाने की आशंका है। वर्तमान में अनुबंधित कार्य पूर्ण नहीं है। अतः क्षव्रिग्रस्त हिस्से का सुधार अनुबंधकार से ही पूर्ण करा लिया जायेगा।	अनुबंधित कार्य पूर्ण नहीं है। क्षतिग्रस्त हिस्से का सुधार अनुबंधकार से पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इस कारण किसी अन्य के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं है।
3.	बारधा बांध	बांध का निर्माण वर्ष 2004 में हुआ था। बांध के अंदर दिनांक 16.07.2016 को आर.डी. 917 से 977 मी. के मध्य 4 स्थानों से पाईपिंग होने से बांध क्षतिग्रस्त हुआ। मुख्यतः बांध के क्षतिग्रस्त होने का कारण अत्यधिक वर्षा होना है।	बारधा बांध के क्षतिग्रस्त होने से शासन को लगभग 1.00 करोड़ की क्षति हुई है। इसमें विभागीय अमले की लापरवाही परिलक्षित न होने से किसी के जिम्मेदार होने की स्थिति नहीं है।
4.	सिरस्वाहा तालाब	सिरस्वाहा तालाब वर्ष 2016 में ही निर्मित हुआ है, पन्ना जिले में दिनांक 06.07.2016 एवं 07.07.2016 को अतिवर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है।	बांध के क्षतिग्रस्त होने से लगभग रू. 72.00 लाख की मिटटी के कार्य की क्षति हुई है। बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री डी. के. खरे, अनुविभागीय अधिकारी श्री जी. पी. उपाध्याय एवं उपयंत्री श्री आर. के. उपाध्याय को प्रथम दृष्टया कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12.07.2016 को निलंबित किया जाकर शासन के आदेश क्रं. एफ16–43/2016/ जी–2/31/भोपाल दिनांक 07.10.2016 के द्वारा विभागीय जांच संस्थापित कर अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5.	बिलखुरा तालाब	बिलखुरा तालाब जिला पन्ना में दिनांक 06.07.2016 एवं 07.07.2016 को अत्यधिक वर्षा के कारण आर.डी. 690 मी. पर 15 मी. लंबाई में एवं आर.डी. 750 मी. पर 30 मीटर लंबाई (नाला भाग) क्षतिग्रस्त हो गया है।	बांध के क्षतिग्रस्त होने से मिटटी के कार्य की लगभग रू. 48.00 लाख की क्षति हुई है, किंतु ठेकेदार मै. देवी कन्स्ट्रक्शन रीवा नें, दिनांक 10.07.2016 को स्वयं के व्यय पर क्षतिग्रस्त भाग पूर्ण करने का शपथ पत्र दिया है, एवं अनुरोध किया है कि फार्म के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही न की जावे। क्षतिग्रस्त होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री डी. के. खरे, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री जी. पी. उपाध्याय एवं उपयंत्री श्री आर. के. उपाध्याय को प्रथम दृष्टया कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग बल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 12.07.2016 को निलम्बित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग बल्लभ भवन के आदेश क्रं एफ 16–43 / 2016 / पी–2 / 31 / भोपाल दिनांक 07.10.2016 के द्वारा विभागीय जांच हेतु अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।